

20.12.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह आर्य उपस्थित आये। अभियुक्त अमित जमानत उपस्थित आया। अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 09.01.2024 को पेश हो।

रीना नेगी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल